## धारा 157 : इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण

(1) अपील अधिकरण के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों या उक्त अपील अधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी किसी बात के लिए, जो उसके द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या इस रूप में किया जाना आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं लाई जाएंगी।